कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड– 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष– 05946–220035

पत्रांक :– 1849 /मार्केटिंग अनुभाग	दिनांक :– 8/12/25

सार्वजनिक निविदा सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम द्वारा निम्नलिखित टू–बिट आधारित निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0सं0	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
01	नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालयों की छतों पर विज्ञापन पट्ट स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली।	दि0 23.12.25 को 11:00 AM से दि0 23.12.25 को 01:00 PM तक कक्ष सं0 12 में रखे बाक्स में निविदा डाली जायेगी	दि0 23.12.25 को 03:00 PM	कक्ष सं0 12

उपरोक्त निविदा की नियम व शर्त नगर निगम की बेबसाइट www.haldwaninagarnigam.in पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित :–

1. सम्पादक दैनिक [illegible] संस्करण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा को न्यूनतम निर्धारित दरों में अधिकतम 40 वर्ग सेमी0 पठनीय स्पेस में में प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. प्रांजलि वैंचर्स को इस आशय से प्रेषित की वे उपरोक्त निविदा सूचना नगर निगम वेबसाईट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
4. कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम सीमान्तर्गत मिनी स्टेडियम के सामने सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल से संलग्न भूमि पर निर्मित सार्वजनिक शौचालय की छत पर विज्ञापन पट्‌ट लगाने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्तें एवं प्रावधान :–

1. नगर निगम सीमान्तर्गत नैनीताल रोड़ पर मिनी स्टेडियम के सामने सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल से संलग्न भूमि पर नगर निगम द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय की छत पर विज्ञापन पट्‌ट स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश में वर्णित तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक के लिये मान्य होंगी।
2. निविदा हेतु रू0 1,90,000/– (रू0 एक लाख नब्बे हजार मात्र) प्रति वर्ष न्यूनतम निविदा धनराशि निर्धारित है जिसमें प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। शासन द्वारा भारित अन्य कर जी0एस0टी0 आदि भी अधिकृत एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा देय होंगे।
3. निविदादाता व्यक्ति/फर्म को उत्तराखण्ड राज्य निवासी या उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत (Based) होना आवश्यक है।
4. सार्वजनिक शौचालय की छत पर विज्ञापन पट्‌ट लगाने हेतु इच्छुक निविदादाता को अपने निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर0 जो नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के नाम पर बंधक हो प्रतिभूति के रूप में तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड व जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आवंटन समिति नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम में निहित होगा किसी विवाद के कारण विज्ञापन पट्‌ट शुल्क वसूली प्रभावित हो तो जितने दिन इस प्रकार कि अवधि रहेगी उतने ही दिन ठेके की अवधि में जोड़ दिये जायेंगे किसी भी वाद के लिए क्षेत्राधिकार जिला नैनीताल के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
6. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि का 50 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि निविदा स्वीकृति की तिथि से 05 दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
7. सार्वजनिक शौचालय की छत पर 10 फिट ऊँचा विज्ञापन पट्‌ट लगाया जायेगा, लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्‌ट के फ्रेम सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत स्टेन लैस स्टील से निर्मित किये जायेंगें।
8. विज्ञापन पट्‌ट को प्रकाशित करने हेतु बिजली आदि की व्यवस्था अधिकृत फर्म/व्यक्ति को स्वयं के व्यय पर करनी होगी तथा मासिक किराया भी स्वयं ही वहन करना होगा।
9. किसी भी निविदादाता को नगर निगम का बकायेदार होने की दशा में तथा किसी भी संस्था द्वारा काली सूची में (ब्लैक लिस्ट) होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इच्छुक निविदादाता इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे।
10. यदि किसी निविदादाता द्वारा पूर्व में या वर्तमान निविदा में किसी भी प्रकार के गलत दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं या भविष्य में पाये जाते हैं, तो उक्त निविदादाता की निविदा निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

क्रमशः.................2

11. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 (सात) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होंगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को विज्ञापन के अधिकार एवं शुल्क वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा।

12. उच्चतम निविदादाता द्वारा अनुबन्ध न कराये जाने पर जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं द्वितीय चयनित निविदादाता (H2) की निविदा को (H1) की प्रस्तावित निविदा धनराशि पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है।

13. अनुबन्धकर्ता द्वारा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा।

14. अधिकृत ठेकेदार द्वारा लगाये गये विज्ञापन पट्ट का नगर निगम के विद्युत अनुभाग के प्रकाश निरीक्षक व कर निरीक्षक द्वारा समय—समय पर निरीक्षण किया जायेगा। इस संबंध में विद्युत विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण में यदि यह पाया जाता है कि अधिकृत ठेकेदार द्वारा स्थापित विज्ञापन पट्ट इस प्रकार से लगाये गये हैं जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है या स्थापित विज्ञापन पट्ट नगर के सौन्दर्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं तो ऐसे विज्ञापन पट्ट को नगर निगम द्वारा तत्काल हटा दिया जायेगा। इस सम्बंध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

15. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और माननीय न्यायालय के आदेश पर कोई भी विज्ञापन पट्ट हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बंधित एजेन्सी को निर्धारित समय में विज्ञापन पट्ट हटाना होगा।

16. विज्ञापन पट्ट इस प्रकार लगाना होगा कि ऑधी तूफान में भी पूर्णतः सुरक्षित रहे। फिर भी यदि विज्ञापन पट्ट के कारण कोई दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

17. विज्ञापन पट्ट सम्बंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाया 2/4 नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बंध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

18. विज्ञापन पट्ट पर सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पाद एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

19. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी—काठगोदाम का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्रावधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी नैनीताल) के सम्मुख अपील की जा सकती है।

20. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

21. अधिकृत विज्ञापन एजेन्सी/ठेकेदार को समय—समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन/राज्य सरकार/माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

22. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन/विज्ञापन पट्टों की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

क्रमशः................3

23. विज्ञापन पट्ट लगाये जाने वाले ढॉचों और पट्ट सहित प्रत्येक विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

24. कतिपय परिस्थितियोंवश जब तक पुनः निविदा न हो जाय ऐसी स्थिति में स्वीकृत फर्म को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर विचार किया जा सकता है जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

अनुज्ञा **समाप्त कर दी जायेगी, यदि –**

(क) ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होंगी, तथा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में रू0 5,000/–, दूसरी बार में रू0 10,000/– जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनीतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

मार्केटिंग लिपिक
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

कर निरीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

कर अधीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

नोडल मार्केटिंग अनुभाग
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड– 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष– 05946–220035

पत्रांकः /मार्केटिंग अनुभाग दिनांक

नैनीताल रोड पर मिनी स्टेडियम के सामने सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल से संलग्न भूमि पर नगर निगम द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय की छत पर विज्ञापन पट्ट स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु आवश्यक तकनीकी निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता/फर्म का नाम–..
2. निविदादाता/फर्म का आधार कार्ड–..
3. निविदादाता/फर्म का पैन कार्ड–..
4. जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र–..
5. निविदा राशि की प्रतिभूति/जमानत धनराशि का विवरण–..
6. नोटरीकृत शपथ पत्र..
7. मो0नं0–..
8. ई–मेल–..

मेरे/हमारे द्वारा उक्त कार्य हेतु निर्धारित शर्तों को भली–भॉति समझ लिया गया है तथा मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त शर्तों को पढ़ने व समझने के पश्चात निविदा की प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया है।

निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि

हस्ताक्षर..

नाम एंव पता..

UTTARAKHAND

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नैनीताल रोड, हल्द्वानी पिन कोड– 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष– 05946–220035

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पत्रांकः /मार्केटिंग अनुभाग दिनांक :–

नैनीताल रोड पर मिनी स्टेडियम के सामने सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल से संलग्न भूमि पर नगर निगम द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय की छत पर विज्ञापन पट्ट स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु आवश्यक वित्तीय निविदा प्रपत्र।

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रस्तावित विज्ञापन शुल्क
01	नैनीताल रोड पर मिनी स्टेडियम के सामने सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल से संलग्न भूमि पर नगर निगम द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय की छत पर विज्ञापन पट्ट स्थापित कर विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु आवश्यक वित्तीय निविदा प्रपत्र।	

नोटः– दरें स्पष्ट (शब्दों व अंकों में) लिखें।

निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि

हस्ताक्षर......................................

नाम एवं पता..............................

मो0नं0..